



५५/१

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 308 / 28 / 76 / एक / 2018-19
सेवा में,

दिनांक : 22 अप्रैल 2018

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-महोबा।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	20284802342	IFSC Code ALLA0210078	46.344

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	महोबा	मु०अ०-37	न०पा०प० महोबा	वार्ड न०-15 के अंतर्गत मौ० गांधीनगर में कचहरी के सामने वाले रास्त में जयपाल सिंह के मकान के पीछे से श्री राजेन्द्र द्विवेदी के मकान के पास सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	0.489
2	महोबा	मु०अ०-37	न०पा०प० महोबा	वार्ड न०-12 के अंतर्गत मो० छजमनपुरा भटयाना में नरसिंह कुटी मन्दिर के बगल से शंकर जी के मन्दिर के पास तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	0.979
3	महोबा	मु०अ०-37	न०पा०प० महोबा	वार्ड न०-06 के अंतर्गत मौ० सत्तीपुरा में सत्तीदीन गुप्ता के मकान से सीताराम साहू के मकान तक नाले पर स्लैब ढलाई का कार्य।	0.863
4	महोबा	मु०अ०-37	न०पा०प० महोबा	वार्ड न०-04 के अंतर्गत मौ० सुभाष नगर में जेल के बगल में प्रियंका कान्चेट स्कूल वाले रास्ते में सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.097
5	महोबा	मु०अ०-37	न०पा०प० महोबा	वार्ड न०-13 के अंतर्गत मौ० सिंह भवानी समदनगर में प्यारे चक्की के मकान से नवल किशोर के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	2.478
6	महोबा	मु०अ०-37	न०पा०प० महोबा	वार्ड न०-13 के अंतर्गत मौ० सिंह भवानी समदनगर में अनीस के घर से शेख मन्सरी के घर तक एवं बसीर से पच्चू तथा पच्चू के घर से ताजू मुल्ला के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	1.988



५५२

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
7	महोबा	मु०अ०-37	न०पा०प० महोबा	वार्ड न०-13 के अंतर्गत मौ० सिंह भवानी समदनगर में रिकू के घर से अनीस के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	1.624
8	महोबा	मु०अ०-37	न०पा०प० महोबा	वार्ड न०-07 के अंतर्गत मौ० भटीपुरा में रामप्रकाश गुप्ता के घर से कस्तूरबा विद्यालय के गेट एवं देवेन्द्र सक्सेना के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.560
9	महोबा	मु०अ०-37	न०पा०प० महोबा	वार्ड न०-07 के अंतर्गत मौ० भटीपुरा में रामआसरे के घर से रामू के घर तक एवं राम के घर से बलवीर के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	3.755
10	महोबा	मु०अ०-37	न०पा०प० महोबा	वार्ड न०-07 के अंतर्गत मौ० भटीपुरा में इमदाद कालोनी में रहूप मास्टर के घर से जगदीश के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.564
11	महोबा	मु०अ०-37	न०पा०प० महोबा	वार्ड न०-07 के अंतर्गत मौ० भटीपुरा में रामप्रकाश गुप्ता के घर से राजेश अग्रवाल के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	2.002
12	महोबा	मु०अ०-37	न०पा०प० महोबा	वार्ड न०-07 के अंतर्गत मौ० भटीपुरा में शास्त्री के घर से लखनलाल रैकवार के घर एवं होरीलाल से हरस्वरूप के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	3.692
13	महोबा	मु०अ०-37	न०पा०प० महोबा	वार्ड न०-07 के अंतर्गत मौ० भटीपुरा में भूरे यादव के घर से लक्ष्मी यादव एवं नवी मन्सूरी के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	3.737
14	महोबा	मु०अ०-37	न०प० कुलपहाड	वार्ड न०-09 के अंतर्गत मौ० राजावार्ड में सुधीर पारासर के घर से हल्काई धोबी के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.337
15	महोबा	म०ब०-83	न०प० कुलपहाड	वार्ड न०-06 के अंतर्गत मौ० हटवारा में चेताराम के घर से मेनरोड बस स्टैण्ड तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	6.019
16	महोबा	म०ब०-83	न०प०प० महोबा	मौ० नयापुरा नैकाना में राजीव यादव के मकान से विष्णु तिवारी एडवोकेट के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	1.160
	योग				46.344

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-



44/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- *11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दौरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



५५/५

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक